न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/14/2015 वाद दायर दिनांक 22.01.2015

उनवान

1. गोविन्दराम पिता बालुराम जाति तेली उम्र वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।

बनाम

1. धनराज पिता खुबचन्द जाति तेली उम्र वयस्क निवासी कांटी तहसील गंगरार हाल मुकाम कपासन तह. कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
2. हगामी पत्नी रतन लाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी कांटी तहसील गंगरार हाल मुकाम कपासन तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
3. कमलेश कुमार पिता बालुराम जाति तेली उम्र वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
4. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज)।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट —वादी
एकतरफा —प्रतिवादी सं0 1
अधिवक्ता श्री बालुराम जाट —प्रतिवादी सं0 2, 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 13.07.2022

—ःनिर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि ग्राम कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 2434 रकबा 0.01 है0, आ. नं. 2435 रकबा 0.02 है0, आ. नं. 2436 रकबा 0.29 है0, आ. नं. 2437 रकबा 0.31 है0, आ.नं. 2443 रकबा 0.01 है0, आ.नं. 2444 रकबा 0.34 है0 स्थित है उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,3 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। जिसमें वादी का राजस्व रेकार्ड में 1/6 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 धनराज का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 2 हगामी का राजस्व रेकार्ड में 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 3 कमलेश कुमार का राजस्व रेकार्ड में 1/6 हिस्सा दर्ज है। तथा हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा है लेकिन आराजी सामलाती होने से हमारे लगान जमा कराने एवं सीमा बाबत हमेशा विवाद रहता है इसलिये आराजियात जेरबहस का बंटवाड़ा कराया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादीगण को कही बार कहा [illegible] ने आपसी बंटवाड़ा कर ले लेकिन प्रतिवादीगण तैयार नही है। तथा प्रतिवा[illegible] 2014 को भी आराजी के सीमा बाबत विवाद किया इसलिये आराजियात [illegible] कराया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:17 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादपत्र की कॉलम सं. एक में वर्णित आराजियात में आ.नं. 2435, 2443 आ.चा. है जिसे सामील रखा जावें तथा आ.नं. 2434, 2436, 2437, 2444 का बंटवाड़ा कराया जाकर वादी का 1/6 हिस्सा का अलग बंटवाड़ा करा मौके पर कब्जा अनुसार अलग बंटवाडा की डिकी फरमाई जावे तथा जमाबन्दी खातें में अलग दर्ज कराई जावें तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के खाते एवं 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 के 1/6 हिस्से की बंटवाड़ा की डिकी अलग फरमाई जावें।

यह कि प्रतिवादीगण को दिनांक 25/08/2014 को सभी पक्षकारान के मध्य आपसी हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा करा लेने बाबत् मौखिक रूप से कहा लेकिन प्रतिवादी सं.1 आपसी तौर से बंटवाडा कराने के लिये तैयार नही है तथा प्रतिवादी सं 2, 3 आपसी बंटवाडा कराने के लिये तैयार है लेकिन उपस्थित नहीं होने के कारण उनको प्रतिवादी बनाये गये है। जिससे बिनाय दावा दिनांक 25.08.2014 को पैदा हुई एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रही है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 3 बंटवाड़ा की डिक्री इस आशय की फरमाई जावें कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में से आ0चा0 को संयुक्त रखते हुए दिगर आराजीयात का रेवेन्यु रेकार्ड के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी मौके पर जहॉ पर काबिज है उसी अनुसार पक्षकारान के खाते एवं कब्जे में रखते हुए बंटवाडा की डिक्री बनाई जावे एवं लगान भी अलग दर्ज कराने की डिक्री बक्षाई जावें। बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री बक्षाई जावें की मौके पर यदि वादी के कब्जे में कम आराजीयात हो तो रेवेन्यु रेकार्ड के अनुसार कमी रकबा की पूर्ति वादी के कब्जे में रखाये जाने की डिक्री बक्षाई जावें। हर्जा खर्चा मुकदमा महनताना वकील भी प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। अन्य दाद जो मुफिद वादी के हो प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बालुराम जाट का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब दावा के प्रस्तुत हुआ। उक्त वाद पत्र में दिनांक 13.07.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 फॉलोअप केम्प 2017 मुख्यालय कपासन में प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आज दिनांक 13.07.2022 को वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा बटवाडा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके अधिवक्ता हाजिर नहीं आने एकतरफा कार्यवाही की गयी। आज दिनांक 13.07.2022 को वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 2434, 2435, 2436, 2437, 2443, 2444, कुल किता 6 कुल रकबा 0.98 है0, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 18.12.2017 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है।

1. गोविन्दराम पिता बालूराम 1/2 कमलेश पि[illegible]म 1/2 जाति तेली सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	2437	0.31	नहरी 1
योग	कुल किता–1	0.31	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:17 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

2. हगामी पत्नि रतनलाल जाति तेली सा0 कांटी तहसील गंगरार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	2434	0.01	पड़त 1
2	2436	0.29	नहरी 1
3	2435	0.02	आ.चा.
योग	कुल किता– 3	0.32	

3. धनराज पिता खूबचन्द जाति तेली सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	2444	0.34	नहरी 1
2	2443	0.01	आ.चा.
योग	कुल किता– 2	0.35	

रहन बदस्तुर रहें तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:17 IST
Reason: SelfAttested